न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2021/202 जिला–नागौर

मोहन लाल पुत्र श्री चौथूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम मीण्डा तहसील नांवा जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नांवा जिला–नागौर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर, नागौर दिनांक 06–04–2021
अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 46/2020
बउनवान मोहनलाल बनाम राज0 सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 06–02–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मीण्डा के आराजी खसरा नम्बर 794 पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा कर मकान बनाकर अतिक्रमण होना अंकित कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार, नांवा ने बेदखली के आदेश दिनांक 17–8–2020 पारित कर दिये जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–4–2021 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर नायब तहसीलदार, नांवा के आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होकर नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण अपीलार्थी को प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं होने से अभिभाषक द्वारा सूचित कर बुलाने का आश्वासन दिया गया जिस कारण अपीलार्थी विश्वास में रहा तथा कोविड–19 बीमारी के चलते लॉक डॉउन हाने के कारण अभिभाषक से सम्पर्क नहीं हो सका। जब कोरोना सामान्य हुआ तब अपीलार्थी दिनांक 18–9–2021 को अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06–04–2021 की जानकारी हुई जिस पर अभिभाषक से मिलकर नकले आदि लेकर दिनांक 27–9–2021 को नकल प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अजमेर आकर अभिभाषक नियुक्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि नायब तहसीलदार द्वारा गुणावगुण पर विवेचन किये बिना करण रहित आदेश से अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना विवादित आराजियात से बेदखल करने का आदेश दिनांक 17–08–2020 पारित किया जबकि अपीलार्थी ने अपने पक्ष में पट्टा विलेख, दस्तावेज, बिजली के बिल पेश किये उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु स्वतंत्र कमिश्नर से मौका रिपोर्ट

तलब करनी चाहिए थी। अपीलार्थी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 794 पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बीपीएल परिवार के पट्टे के आधार पर मकान बना हुआ है जो अवैध कब्जा नहीं है तथा इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के भी कब्जे है जिन पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए था। यदि अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो सभी के विरूद्ध समान व्यवहार करना चाहिए। इसके बावजूद पटवारी हल्का ने त्रूटिपूर्ण अतिक्रमण बताकर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जबकि उन्हें स्वतंत्र मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवानी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। यदि प्रार्थी को अतिक्रमी माना जाता है तो अपीलार्थी को सरकार से मुआवजा दिलाया जाना चाहिए क्योंकि अपीलार्थी ने अपना मकान राज्य सरकार की बीपीएल परिवार की योजना के तहत पट्टा विलेख प्राप्त कर मकान बनाया है जिसमें अपीलार्थी की समस्त पूंजी लगी हुई है तथा अपीलार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है तथा मकान से बेदखल होने पर बेघर होकर सड़क पर आ जायेगा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–04–2021 एवं नायब तहसीलदार नांवा द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 17–08–2020 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि पटवारी हल्का एवं गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 05–03–2020 में उल्लेखित है कि अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र चौथूराम जाति कुम्हार निवासी मीण्डा द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 794 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि पर पक्का मकान व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जो कि सरकार की गै0मु0 गोचर की भूमि है। जिस पर नायब तहसीलदार नांवा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया जाकर विवादित भूमि से भौतिक रूप से बेदखली का आदेश पारित किया गया तथा जुर्माना राशि 90/– रूपये आरोपित की जाकर पटवारी हल्का को अपीलार्थी के उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ती कायमी/वसूली हेतु आदेश जारी किये। नायब तहसीलदार, नांवा द्वारा अतिक्रमियों को सिवायचक/राजकीय भूमि से बेदखली का आदेश भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को आदेश दिनांक 11–8–2020 द्वारा अतिक्रमियों से आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावे तथा आराजी भूमि से अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करने के आदेश दिये है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में खसरा नम्बर अंकित नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि किस खसरा नम्बर का अपीलार्थी को पट्टा जारी किया गया है। दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलार्थी को विधिवत सुनकर दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मीण्डा के खसरा नम्बर 794 रकबा 0.05 हैक्टर पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर लेने के संबंध में पटवारी हल्का मीण्डा ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सम्वत् 2076 में अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने पर प्रकरण नायब तहसीलदार नांवा के समक्ष प्रस्तुत किया। विवादित आराजियात पर अपीलार्थी द्वारा मकान व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का मीण्डा के आधार पर प्रकरण सं. 68/2019 दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91 के तहत् बेदखली का नोटिस जारी किया गया तथा विवादित भूमि पर अतिक्रमण स्पष्ट होने से दिनांक 17–08–2020 से उपरोक्त अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने व जुर्माना कायमी का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 06–04–2021 में उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया कि अपीलार्थी द्वारा गै0 मु0 गौचर की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलार्थी को बेदखली का आदेश पारित किया है। अपीलार्थी का कथन कि उसका मकान पिछले 50 वर्षो पूर्व काफी सालो से बना है तथा उमसें विद्युत कनेक्शन आदि किये हुए है। वर्तमान में प्रकरण किसी आवंटन नियमन के आदेश की अपील न होकर प्रकरण अतिक्रमण बेदखली का होने से इस पर विचार कर निर्णय लिया जाना है। अतिक्रमण करने से अपीलार्थी को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण को हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा विवादित भूमि पर अधिवास या कब्जा कर रखा हो उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अगर कब्जा पुराना है तो अपीलार्थी को अलग से कार्यवाही करनी होगी। भूमि गैर0मु0 गौचर राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता है। गैर मु0 गौचर भूमि प्रतिबंधित है। नायब तहसीलदार नांवा द्वारा विधिवत कार्यवाही कर अपीलार्थी को बेदखली के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को सरपंच ग्राम पंचायत मीण्डा द्वारा जारी पट्टा जो कि दिनांक 21–12–2001 को जारी किया गया है की पुस्त पर नक्शा व दिशाएं अंकित है किन्तु उक्त पट्टे पर ग्राम मीण्डा के किस खसरा नम्बर का पट्टा जारी किया गया है का कोई उल्लेख तक नहीं है

इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी को जारी किया गया पट्टा खसरा नम्बर 794 का ही है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर मकान व पक्की दीवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन गौचर दर्ज है। अपीलार्थी का यह कथन भी गलत है कि उसे साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–04–2021 एवं नायब तहसीलदार नांवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2020 विधिक प्रक्रिया अपनाकर पारित किये गये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना जिला नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–04–2021 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 46/2020 बउनवान मोहन लाल बनाम राजस्थान सरकार एवं नायब तहसीलदार नांवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2020 अन्तर्गत राजस्व मुकदमा नम्बर 68/2019 बउनवान पटवारी हल्का मीण्डा बनाम मोहनलाल विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर